(17)

अंचल अधिकारी गोविन्दपुर का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या— 282(IV)18.19

वाद का प्रकार— बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

18. झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक—2074/रा0, दिनांक—13.05.2016 सहपठित—श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू—अर्जन—सह—विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या—3—खा0म0सिति—119/85/2308/रा0, दिनांक—03.09.1986 एवं सह—पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या—914/रा0, दिनांक—09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :—

मौजा— राहरगोरिया थाना— 122 खाता संख्या— 04 प्लॉट संख्या— 713, 683 रकबा— 36 डि0 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी—II के जिल्द संख्या— III के पृष्ठ संख्या— 442 पर जमाबंदी रैयत मैसर्स इ0का0 इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 निदेशक श्री सतीश कुमार पाण्डेय के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू—खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण—पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक— 18.4.18 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

(हस्ताक्षर) 9/4/18

अंचल अधिकारी

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
18.4.18.	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस तामिला प्राप्त हुआ। नोटिस के आलोक में निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित दस्तावेजो केवाला दलील संख्या–8465 दिनांक–16.06.10 / शुद्धि पत्र एंव दाखिज–खारीज की सच्ची प्रतिलिपि की प्रति एंव अन्य राजस्व दस्तावेजो की प्रति समर्पित किया हैं / नहीं किया हैं, जो अभिलेख में संलग्न है। अभिलेख दिनांक 19.4.18. को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी गोविन्दपुर	
19.04.18	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया हैं, कि उपर्युक्त भू–खण्ड गैर आबाद खाता की है। मौजा शहरजोरी थाना सं0 122, खाता सं0 04, प्लॉट सं0 713, 683 कुल रकवा– 365/. जो जमाबंदी संख्या– 442 में निहित है। जमाबंदी रैयतों के वंशज द्वारा समर्पित साक्ष्य स्वरूप सरकारी भूमि का दस्तावेज केवाला दलील संख्या–8465 दिनांक–16.06.10 / शुद्धि पत्र एंव दाखिज–खारीज की सच्ची प्रतिलिपि की प्रति समर्पित हैं। पुर्व की जमाबंदी संख्या–129 जिसमें रैयत गुही, रूही, भरत, शत्रुधन के नाम से कायम है। जबर दखल केश नं0–9 / 68–69 के आधार पर जमाबंदी कायम की गयी है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त विवरणी की भूमि की सृजित जमाबंदी संदिग्ध / अवैध प्रतीत होता है। राजस्व कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा वर्णित जमाबंदी सं0– 442 को रद्द करने हेतू जॉच प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया है। अनुशंसित जॉच प्रतिवेदन से से सहमत होते हुए अभिलेख मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतू भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद को भेजे। अंचल अधिकारी गोविन्दपुर	